BOARD OF DEPARTMENTAL EXAMINATION
DEPARTMENTAL EXAMINATION
FOR IAS/HAS OFFICERS
April, 2013

Paper 2 (Criminal Case)

Time allowed – Three hours **Maximum marks – 100**

NOTE; (1) Attempt both the questions.
(2) Questions carry the marks indicated against them.

Q.1(a) The FIR No.87/2002 was recorded under section 61 of the Punjab Excise Act, as applicable to Himachal Pradesh, in Police Station, Dhalli. After investigation the challan was presented in the Court. Charge is required to be framed against the accused. Please frame the charge against the accused **(10 marks)**

(b) The accused pleaded not guilty to the charge and he was tried by Ld. JMIC Shimla The prosecution examined five witnesses PW.1 to PW.5 (A-1 to A-5) and exhibited documents Ex. PW1/A, Ex. PW5/A, and Ex. PW5/D. Please record statement of the accused under section 313 of the Code of Criminal Procedure. **(10 marks)**

(c) The accused pleaded not guilty to the statement under section 313 Cr. P.C. and did not lead any defence evidence. Write a reasoned judgment on the basis of the evidence referred to above. **(30 marks)**

Q.2(a) On the basis of the complaint of applicant Hariman, the enquiry was conducted by the police and the police presented kalandra under sections 133.107 and 151 of the Code of Criminal Procedure against Kaku Ram (B-2) before Ld. Executive Magistrate, Bilaspur Sadar on the basis of the statements (B-1, B-3 and B-4). On the basis of the aforesaid record, draw notice under section 111 Cr. P.C. against Kaku Ram.

(15 marks)

(b) Kaku Ram did not admit the substance of the notice issued to him. Thereafter the Executive Magistrate recorded the statement on oath of PW.1 Hariman, P.W.2 Mitu Ram, PW.3 Chet Ram and PW4 Thakur Dass (pages 31 to 35). On the basis of the evidence on record write well reasoned final order in the case. **(25 marks)**

(c) Whether there is any statutory period during which the enquiry is to be completed by the Executive Magistate in cases under sections 107/151 Cr.P.C.? If so what is the statutory period and whether period can be extended? If so under which circumstances and by whom? **(10 marks)**

सेवा में

(2)

(1)

Distt. SHIMLA

S.H.O साहिब
थाना ढली जिला शिमला

जय हिन्द

श्रीमान जी,

बकार सरकार निवेदन है कि आरोज मन A.S.I मय H.C. जगमोहन
नं 1095 व आरक्षी सन्दीप नेगी नं 399 के [illegible]
दौरानी आबकारी समय 11 बजे दिन पुन्ह्याना मैन बाजार में मौजूद था
तो देखा कि विनीत सूद एण्ड कम्पनी का ठेका शराब व अंग्रेजी खुला
था तथा सेल्समैन राजीव कुमार s/o श्री रोशन लाल R/o गांव व डाक
खाना पालमपुर हाल सेल्समैन ठेका शराब [illegible] व पुष्पेन्द्र s/o श्री
तुलसी राम R/o गांव डेहरियाँ थाना ज्वाला जी जिला कांगड़ा हाल सेल्समैन
मैन ठेका देशी व अंग्रेजी पुन्ह्याना इसके ठेके में मौजूद थे तथा राजेन्द्र
सिंह s/o श्री जगन्नाथ सिंह R/o [illegible] थाना [illegible] जिला मोतीहारी
बिहार हाल [illegible] मैन बाजार पुन्ह्याना को एक अंग्रेजी
बोतल शराब मार्का [illegible] व एक बोतल अंग्रेजी शराब Diplomat
बेचते हुये मौका पर ही काबू करके फोटोग्राफर [illegible] बुलाकर
मौका के फोटो लिये गये। सेल्समैन राजीव कुमार व पुष्पेन्द्र से
लाइसेंस व परमिट ठेका देशी व अंग्रेजी को पेश करने को कहा
गया तो कोई भी परमिट व लाइसेंस पेश न कर सके तथा न ही
कोई ठेकेदार था जिसको इस कम्पनी के नाम पर ठेका Allot हुआ था
ठेके का सामान व सेल्समैन के [illegible] पर दुकान के अन्दर
रखी गई बिना लाइसेंस व परमिट की शराब अंग्रेजी व देशी के बोतलों
तथा [illegible] की गिनती की गई तो [illegible] बोतलें
Monalisa अंग्रेजी, 11 अद्धे मार्का Black Knight whisky,
78 Nip Black Night, 11 अद्धे Simply whisky,
Jessy whisky, 12 Nip Cortessa III XXX Rum, 20 Nip
[illegible] हिमाचल No.1 750ml तथा 3 पेटियां हिमाचल [illegible] कुल 36
पौव्वे हैं तथा 14 बोतलें हिमाचल नं 1 व 2 बोतलें [illegible] Orange
अरक देशी मौजूद पाई गई [illegible] सेल्समैन उपरोक्त [illegible] रजिस्टर
व स्टाक रजिस्टर पेश न कर सके। उपरोक्त [illegible] देशी व
अंग्रेजी शराब को कब्जे पुलिस बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस में
लिया। उपरोक्त अंग्रेजी व देशी शराब से 3 अद्धे सिम्पली
[illegible], 3 Half Black Knight, 3 पव्वे Black Knight

(P.T.O)

Ex. PW5/A
[illegible] 25/11/[illegible]

3 पव्वे गर्री, 3 पव्वे Contessa तथा एक बोतल Minted, एक बोतल Orange, व खुली अवस्था में 3 पव्वे Minted No. 1 तथा बेची गई बोतल डिमी बोतलों में से एक/एक पव्वा अलग अलग कैमिकल टैस्ट निकालकर जिनको No. 1 से No. 6 तक पौवों को एक बोरी में डाला तथा अन्य बकाया शराब को पेटियों में डालकर नमूना जात व बाकि मांदा शराब अंग्रेजी व देसी को मोहर मासे सर्वमोहर किया। नमूना मोहर अलग पर्चा पर तैयार बाद इस्तेमाल हवाले गवाह रमेश कौशल के की गई। रुक्का मौका पर मरतब करके इरसाल थाना किया जाता है। इस प्रकार विनीत सूद एवं कम्पनी के सेल्समैन राजीव कुमार व प्रोपराइटर उपरोक्त द्वारा बिना लाइसेंस व बिना परमिट के ठेके की अवधि समाप्त होने पर शराब देसी व अंग्रेजी का कब्जा एवं बिक्री की जद में जुर्म पाया जाकर जुर्म धारा आबकारी मुकदमा बरखिलाफ आरोपी संदीप नेगी वगैरा के थाना भेजा जा रहा है। मुकदमा दर्ज रजिस्टर करके नं॰ मुकदमा से सूचित करवाये। मैं A.S.I. मौका पर तफ्तीश करने में मसरूफ हूँ।

मुताबिक बयान जवान 3 E.K.M.
शामिल मिसल इस्तगासा

Sd/- ASI
1-4-2002
at 1-35 PM

Sir,
A Case FIR No. 87/02 dt 1-4-02 U/S 61-1-14 Ex. Act has been registered in this PS accordingly.

Sd/-
Station House Officer
Police Station Dhalli
Distt. Shimla 1-4-02

3

Case FIR No 3?/2002 Dt 1-4-2002 U/s 61-1-14 Excise Act P.S Dhalli Distt Shimla (H.P.)

नक्शा मौका नजरी जायजा कुछ

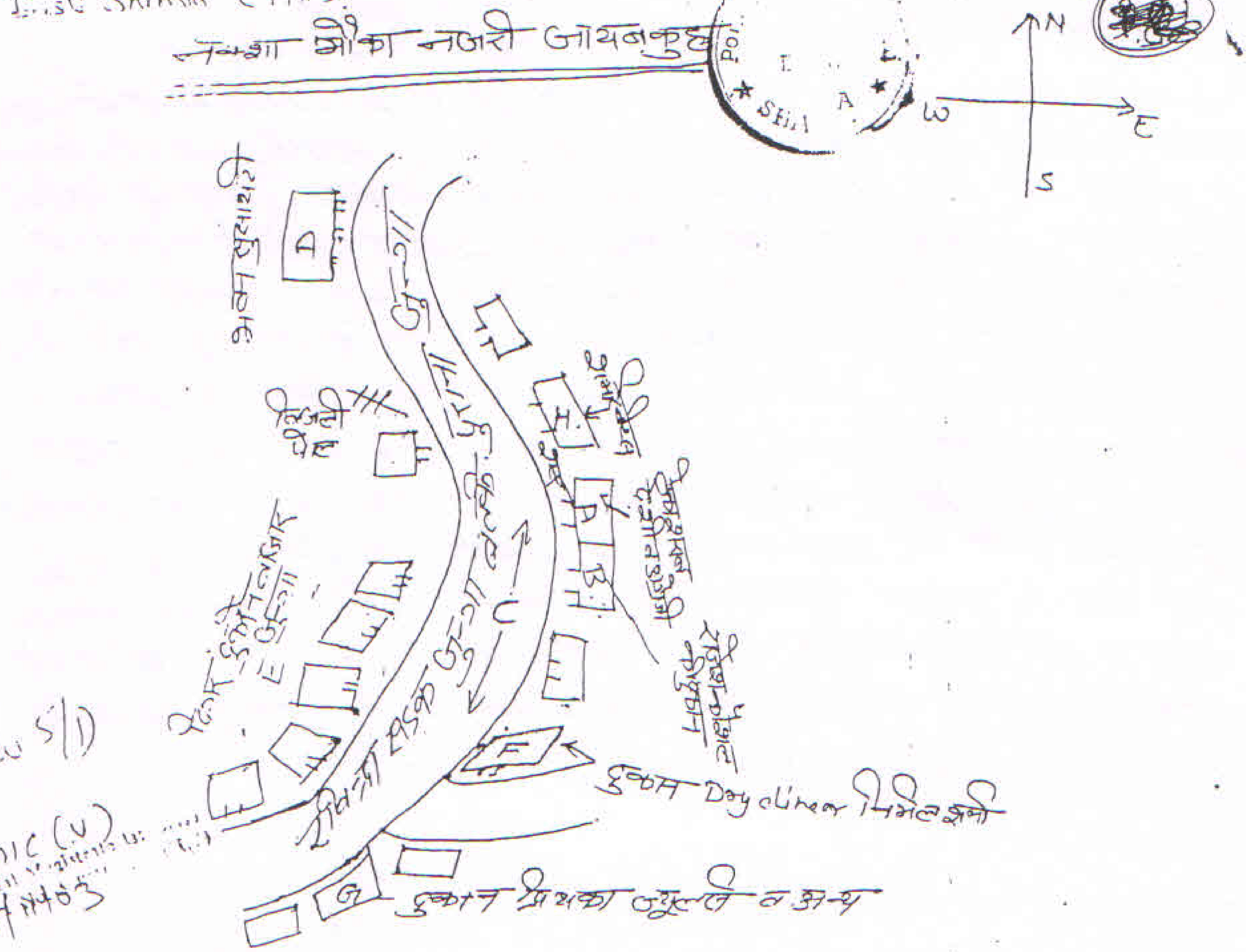

कैफियत नक्शा

(1) नक्शा मे आकि 'A' वह दुकान वाक्य है जो बिमल जुद ठेकेदार कम्पनी ठेकेदार शराब देशी व अंग्रेजी के पास किराये पर थी जिसमें दोषीयान परमोद व लाईसेंस खत्म होने पर शराब बेच रहे थे जो लैंटर पोश दो कमरोंवाली है दूसरा कमरा आकि 'B' मकान मालिक प्रकाश कौशल की दुकान कपड़ा वाक्य है।

(2) आकि 'C' नक्शा मे सड़क शिमला जुब्बल वा पुराना जुब्बल दर्शायी गई है।

(3) आकि 'D' नक्शा मे भवन सोलसट्टी दर्शाया गया है।

(4) आकि 'E' नक्शा मे बाजार जुब्बल की अन्य दुकाने दर्जी S.T.D. जनरल स्टोर व चाय की दुकान दर्शायी गई है।

(5) आकि 'F' नक्शा मे दुकान निर्मल शर्मा ड्राई क्लीनर दर्शायी गई है।

(6) आकि 'G' नक्शा मे दुकान प्रियंका ज्वैलर्स व अन्य दर्शायी गई है।

(7) आकि 'H' नक्शा मे होटल व हलवाई दुकान शर्मा स्वीट्स दर्शायी गई है।

[signature]
11/4/02

Case F.I.R No. 87/02 Dt 1-4-2002 U/s 61 1(14) Ex. Act P.S. Dhalli

फर्द बरामदगी व मकबूजगी शराब देसी व अंग्रेजी

Bag Ex P1
Boxes P2 to P6
Bottles & Pouches P7 to P141

निम्नलिखित साक्षियों के समक्ष आज दिनांक 1-4-2002 को दौराने गश्त नाका पुन्ना बाजार मय मुलाजमान पहुंचा तो देखा कि ठेका शराब देसी व अंग्रेजी खुला था व सैल्स मैन राजीव कुमार S/o श्री रोशन लाल R/o [illegible] थाना [illegible] हाल पुन्ना थाना ढली जिला शिमला व पूर्ण सिंह S/o श्री [illegible] राम R/o गांव इहरोला थाना [illegible] वाला जिला कांगड़ा हाल सेल्स मैन ठेका देसी व अंग्रेजी पुन्ना खुले ठेके में मौजूद थे तथा रणजीत [illegible] S/o श्री [illegible] R/o [illegible] थाना [illegible] हाल [illegible] ने पुन्ना को एक अंग्रेजी बोतल शराब मार्का Dimply व एक बोतल अंग्रेजी शराब Diplomat बेची थी जिन्हें मौका पर ही काबू करके फोटोग्राफर बुलवाकर मौका के फोटो किए गये। सेल्स मैन राजीव कुमार व पूर्ण सिंह से लाइसैंस व ठेका देसी व अंग्रेजी पेश करने को कहा गया जो कोई भी परमिट व लाइसैंस पेश न कर सके। तथा न ही कोई ठेकेदार जिसको यह ठेका Allott हुआ है मौजूद है जिस बिना पर दुकान के अन्दर रखी गई पेटियां, लाइसैंस व परमिट के रखी शराब पेटियों व बोतलों तथा अद्धों व पौव्वों की गिनती की गई तो [illegible] बोतलें Monalisa अंग्रेजी, 11 अद्धे मार्का Black Knight Whisky, व 8 Nip Black Night, 11 अद्धे Dimply whisky 20 Nip Jessy whisky, 12 Nip Contessa III XXX Rum, 18 पौव्वे सन्तरे हिमाचल No. 1 750 ML, तथा 3 पेटियां हिमाचल [illegible] 36 पौव्वे 750/750ml मौजूद पाये तथा 1 [illegible] हिमाचल नं. 1 व 2 बोतलें रंगीन Orange शराब देसी मौजूद पाई तथा न ही कोई सैल्स परमिट इत्यादि मांगने पर पेश कर सके। उपरोक्त सभी देसी व अंग्रेजी शराब को बवजह [illegible] कब्जा पुलिस में लिया गया। उपरोक्त अंग्रेजी व देसी शराब से 3 Half डिप्लो, 3 हाफ Black Knight, 3 [illegible] Black Knight, 7 [illegible], 3 पव्वे Contessa तथा एक बोतल Minted, एक बोतल Orange व एक [illegible] पौव्वा Minted No.1 तथा बेची गई बोतल डिप्लो व डिम्पली में से एक-2 [illegible] टैस्ट [illegible]

Ex PW1/A

JMIC (V) Shimla 24/11/03

(P.T.O)

... कपड़ा शराब ... व नमूना जात उपरोक्त को मौका पर
मोहर PP से सर्वमोहर किया जाकर नमूना मोहर अलग पर्चा
पर ली तथा मोहर बाद इस्तेमाल हवाले गवाह राजेश कौश
ल की गई। फर्द मौका पर मुरतब की गई। जिस पर हस्ताक्षर
गवाहन करवाये जा रहे हैं।

गवाह	अहलकार	गवाह
गौतमराम (X)	Rajan	[signature]
गौतम सिंह s/o श्री ... R/o ... पतारी जिला मोतीहारी बिहार हाल ... मुनगा थाना ...	पूर्ण सिंह	राजेश कौशल s/o श्री ... चन्द R/o मुनगा थाना ... 3 ... ग्राम ... मुनगा।

Attested
[signature] ASI
... PP ...
1-4-2002

[illegible]
[illegible] P.S. Dhalli Distt Shimla (H.P.)

(6)

[illegible]

मैं [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कि [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 87/2002
ता० 1-4-2002 धारा 61-1 Excise Act
में गिरफ्तार कर लिया है [illegible] [illegible]
गिरफ्तारी से [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
गिरफ्तारी [illegible] [illegible] सूचित [illegible] [illegible]
है।

[illegible signature]
POLICE POST
[illegible]
1/4/02

मैं अपनी गिरफ्तारी की सूचना बाबत [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] हूँ।

Rajeev

मैं अपनी गिरफ्तारी की सूचना बाबत [illegible] [illegible]
को [illegible] [illegible] चाहता हूँ

पूर्ण सिंह

(7)

Case F.I.R No. 87/2002 Dt 1-4-2002 U/S ... Excise Act
P.S. ... ...

फर्द जामा तलाशी जामा तलाशी व मकबूजगी

निम्नलिखित साक्षियों के समक्ष मुलजिम राजीव कुमार s/o श्री ... R/o ... ... थाना ... की जामा तलाशी ... ... में लाई दौराने जामा तलाशी मुलजिम की के शरीर व कपड़ों से निम्नलिखित सामान बरामद हुआ।

(1) एक घड़ी Titan स्टील चैन सहित - 1 ...
(2) ... (7) 150/- रु०

उपरोक्त सामान को बजरिए फर्द ... कब्जा पुलिस में लेकर फर्द पर हस्ताक्षर ... करवाये जा रहे हैं। फर्द की नकल मुलजिम राजीव को ... दी गई।

गवाह

...
... कुमार s/o ...
... R/o ...
थाना ...

मुलजिम

Rajeev

गवाह

Jai Gopal ...
... Tyunga.

मैंने ... जामा तलाशी का ... पूरा वसूल पाया

Rajeev
2/4/02

... 1/4/02

Case F.I.R No. 87/02 Dt 1-4-2002 U/S [illegible] Excise Act
P.S Dhalli. Distt Shimla.

(8)

फर्द जामा तलाशी बरामदगी व कब्जा पुलिस

निम्नलिखित गवाहों के समक्ष पूर्ण सिंह S/O श्री प्रताप सिंह R/O गाँव टीयाला, P.O [illegible] [illegible] की जामा तलाशी हस्ब जाब्ता अमल में लाई। दौराने जामा तलाशी मुसम्मी के शरीर व पहने हुए कपड़ों से निम्नलिखित सामान बरामद हुआ।

(1) एक [illegible] [illegible] [illegible] काले कोट सहित (2) एक कंघी (3) 160/- रु०

उपरोक्त सभी सामान को हस्ब जाब्ता कब्जे फर्द कब्जा पुलिस में लेकर, हस्ताक्षर गवाहन करवाये गये। फर्द की नकल फर्द मुसम्मी पूर्ण सिंह को मिलाहजा दी गई।

गवाह
निर्मल कुमार S/O [illegible] [illegible] R/O [illegible] थाना [illegible]

अलावा
पूर्ण सिंह

गवाह
Jai Gopal HC
[illegible] Junga

Attested
[illegible]
IIC PP Junga
1/4/02

P.O मैंने अपना जामा तलाशी का समान पूरा पाया
पूर्ण सिंह

Date 2/4/2002

Case F.I.R. No. [illegible] dt [illegible] 2002 U/S [illegible] Excise Act
P.S. Dhalli Distt. Shimla

ब्यान [illegible] पुत्र [illegible] R/o गुम्मा [illegible] उम्र [illegible] वर्ष

ब्यान किया कि मैं उपरोक्त पते का [illegible] के स्थायी [illegible] हूँ तथा [illegible] ढली का दुकानदार हूँ [illegible] करता रहा हूँ। आज दिनांक [illegible]-2002 को [illegible] करते हुए मेरी दुकान [illegible] के साथ [illegible] करके 11 बजे दिन [illegible] तो देखा कि [illegible] अंग्रेजी [illegible] था तथा [illegible] के [illegible] मुताबिक [illegible] शराब [illegible] रहे थे [illegible] के सामने [illegible] एक बोतल Dimpy Whisky व एक बोतल Diplomat Whisky [illegible] मैं [illegible] पर ही [illegible] करके [illegible] पाकर [illegible] से लाइसेंस व परमिट ठेका देसी व अंग्रेजी [illegible] को [illegible] कोई भी परमिट व लाइसेंस [illegible] न कर सके [illegible] कोई [illegible] जिसको उस [illegible] के [illegible] Allott हुआ होगा [illegible] के [illegible] कारण [illegible] ने मेरे सामने दुकान के अन्दर रखी हुई बिना लाइसेंस व परमिट की शराब अंग्रेजी व देसी के [illegible] बोतलों [illegible] की गिनती की तो 3 बोतलें Monalisa Wine, 11 अद्धे Black Knight Whisky व 8 Nip Black Knight, 11 अद्धे Dimpy Whisky, 20 Nip Jessy Whisky, 12 Nip Contessa XXX Rum, 18 पौव्वे [illegible] 750 ML तथा 3 पेटियों [illegible] कुल 36 पौव्वे हैं तथा 14 बोतलें [illegible] व 2 बोतल [illegible] शराब देसी मौजूद पाई [illegible] उपरोक्त सैंपल [illegible] व [illegible] न [illegible] सके। पुलिस ने उपरोक्त सभी देसी व अंग्रेजी शराब को [illegible] अपने कब्जा में लिया तथा [illegible] 3 [illegible] अंग्रेजी व देसी शराब से [illegible] 3 [illegible]

(P.T.O)

Mark X.

Ex PW5/E

JMIC (V) Court No. 3 Shimla 25/11/03

[illegible] नाईट, 3 पव्वे [illegible] Night 3 पव्वे [illegible]
3 पव्वे Contessa XXX Rum, [illegible] बोतल [illegible]
एक बोतल Orange व 3 [illegible] एक [illegible] की थैली
में डालकर रखा हुआ था। यह बोतल [illegible] व [illegible] से [illegible]
पव्वा [illegible] [illegible] [illegible] सील मोहर लगाकर [illegible]
जात शराब पव्वा बोतल आदि को [illegible] शराब [illegible]
के आरोपी की बोरी के [illegible] [illegible] शराब [illegible]
से [illegible] [illegible] [illegible] मोहर म
[illegible] [illegible] लेकर व
प्रयोग करके मोहर [illegible] की। [illegible] ने मौका पर
भी [illegible] व [illegible] कुमार तथा [illegible]
ने अपने 2 [illegible] किये हैं। आपने [illegible]
कुमार [illegible]
[illegible] के [illegible] कर दिये। बयान सुन लिये
जो मेरे कहे अनुसार ठीक लिखा है।

[signature] ASI
H.C. P.S. Jurye.
1/4/02

Case F.I.R. No. 87/02 Dt. 1-4-2002 U/S 61/1/14 Excise Act
P.S. Dhalli

ब्यान मुलजम श्री [illegible] साह उम्र [illegible] साल R/o गाँव
[illegible] डाकखाना [illegible] तहसील [illegible] जिला [illegible] हाल ठेका
[illegible] मैं [illegible] थाना ढल्ली [illegible] LX5HK/C/02

ब्यान किया कि मेरी [illegible] अंग्रेजी शराब की दुकान
है। जो दिनांक 1-4-2002 को [illegible] ठेका देशी व अंग्रेजी
[illegible] था तथा शराब देशी व अंग्रेजी बिक रही थी [illegible]
करीब 11 बजे दिन मैं [illegible] बोतल अंग्रेजी को ठेके में लेने
के लिये [illegible] गया था जो एक बोतल अंग्रेजी [illegible] व एक
बोतल [illegible] को [illegible] ठेके पर पहुँची
तथा मुझे [illegible] पेश की [illegible] करके फोटोग्राफर [illegible] को
[illegible] फोटो लिये। उस समय ठेके में राजीव ठाकुर व
पूर्ण सिंह जिन्होंने अपना पता मुताबिक [illegible] शराब
अंग्रेजी व देशी बेच रहे थे। पुलिस ने मेरे व 3 [illegible] गवाहों
[illegible] के सामने राजीव ठाकुर व पूर्ण सिंह से ठेका खोलने
के बारे [illegible] बेचने के बारे लाइसेंस, परमिट ठेका देशी
व अंग्रेजी पेश पुलिस करने के लिये कहा परन्तु कोई भी परमिट,
व लाइसेंस पेश पुलिस न कर सके और न ही उस ठेके की अवधि
खत्म होने के बाद कोई नया ठेकेदार इस दुकान/ठेके में आया
है। जिस कारण पुलिस ने मेरे व राजेश के सामने ठेके में रखी हुई
बिना लाइसेंस व परमिट की शराब अंग्रेजी व देशी के पव्वों
बोतलों अद्धों तथा पौव्वों की गिनती की तो 3 बोतलें मोनार्क
[illegible], 11 अद्धे ब्लैक नाईट व्हिस्की, 8 नीप ब्लैक नाईट, 11 अद्धे
इम्पी विस्की, 20 नीप जौली विस्की, 12 नीप कन्टेसा Rum, 18 पौव्वे
[illegible] हिमफैड 750 ML तथा 3 पेटियाँ हिमफैड जिनमें कुल 36 पौव्वे
750 ML हैं तथा 14 बोतलें हिमफैड व 2 बोतल संतरा औरेंज
शराब देशी मौजूद पाई। इस बारे राजीव व पूर्ण सेल्समैन
उपरोक्त सेल्स रजिस्टर व स्टाक रजिस्टर पेश पुलिस न कर सके।
पुलिस ने उपरोक्त सभी अंग्रेजी व देशी शराब फर्द द्वारा अपने
कब्जे में ली तथा पकड़ी गई शराब अंग्रेजी व देशी शराब से
3 अद्धे इम्पी विस्की, 3 अद्धे ब्लैक नाईट, 3 पव्वे ब्लैक
नाईट, 3 पव्वे जौली विस्की, 3 पव्वे contessa XXX रम
तथा एक बोतल हिमफैड, एक बोतल औरेंज व 3 पौव्वे हिमफैड
(P.T.O)

Seen PW3/F
25/11/03
Judicial Magistrate [illegible] Court No. 3 Shimla

(12)

एक कपड़ा का थैला जो ट्रान्सपेरेन्ट लिफाफा थैली मय बोतल
डिम्पी व डिलाईट में से एक/एक [illegible]
ईंट के टुकड़े लेकर [illegible] जला फर्श अद्धा व बोतलो
आई को तथा बीड़ी [illegible] शराब खाली व अद्धे की बोतो व
पेटियो में डालकर मौके पर मोहर मु० से सर्बमोहर किया
नमूना मोहर पुलिस व जैल्या कपड़ा पर लेने के बाद इसको
सबूत उपयुक्त राजेश कौशल के जरिये फर्द पुलिस ने
मौका पर तैयार की जिस पर [illegible] राजेश कौशल राजीव
व पूर्ण ने अपने-2 दस्तखत किये मुलाजे के फर्द की एक
नकल राजीव कुमार व पूर्ण चंद को मुफ्त दी। उनके बाद मौके
का नक्शा तैयार किया व गवाहो के ब्यान लिखे। ब्यान
पढ़ लिया जो मेरे कहे अनुसार ठीक लिखा है

Read [signature]
14/5/02

27

(13) A-1

A-1

PW-01 बयान [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] sabee [illegible]

At this stage Ld. APP want that the witness resiled from the previous statement recorded in police and he wants to cross the witness. Allowed. Cross by APP xxx [illegible]

[illegible]

Judicial Magistrate [illegible] Court No. [illegible]

- 2 -

(14)

[illegible] 13.10.13 को लिखा पेशा [illegible]
[illegible] पुलिस को न दिया। पुलिस
ने [illegible] व [illegible] [illegible] ने
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] न [illegible] [illegible]। [illegible]
[illegible] है कि पुलिस ने [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] की [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible]
कर सकता है कि [illegible] X [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की
[illegible] [illegible] है [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] है कि [illegible] ने
[illegible] [illegible] को [illegible] [illegible] किया।
[illegible] [illegible] [illegible] है कि [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पुलिस को
न दिया। [illegible] (x1 (2-1)) A [illegible]
[illegible] है [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] है। [illegible] [illegible] कि
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] कि [illegible] [illegible] की [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
है।

X X X X X

11/4/2002 को [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
पुलिस [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
पुलिस [illegible] ने [illegible] [illegible]
[illegible]। [illegible] [illegible] है कि
पुलिस [illegible] ने [illegible] [illegible]

अपनी मर्जी से निकाला। यह कहना गलत है कि
बोतलें नहीं कि जिनके नाम का
था जो माल स्वीकृत की बात की
थी उनी दुकान [illegible] कहीं। यह
ठीक है कि ऐसा शराब उसी दुकान
से तब से अब तक उसी दुकान से
मिल रहा है। यह ठीक है कि
मैं न कह सकता हूँ कि यह शराब
[illegible] [illegible] की जा रही Accused की
की [illegible] [illegible] लिए जाता था। यह
ठीक है कि मैंने इस बात की
कोई शिकायत न की।

RoAC

Judicial Magistrate 1st Class
Court No.-3 SHIMLA (H.P)

A-2

PW-2 ब्यान श्री कुलदीप सिंह नं० 1457 MHC
पुलिस स्टेशन छोटा शिमला

सशपथ
24/11/03

ब्यान किया कि दिनांक 2/4/2002 को
मैं थाना छ० शिमला में बतौर मुहर्रिर
तैनात था। [illegible] [illegible] 11 अद्धे Black Cat
6 पव्वे Black Knight 11 अद्धे [illegible] whisky
20 पव्वे [illegible] whisky 12 पव्वे Contessa रम [illegible]
[illegible] 750 ml [illegible] in बोतल Hi-tech
2 बोतल [illegible] Orange [illegible] बोतल
[illegible] [illegible] बोतल Duty whisky [illegible]
[illegible] [illegible] जमा मालखाना की थी।
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] sample [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] 5 [illegible] की [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] की। [illegible]
Ext P-1 बावत Ext P-2 व P-6 [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

पास आया था। कोतवाली के पास [illegible]
[illegible] को [illegible] देकर [illegible]
गयी है। दिनांक 5/4/2002 को
[illegible] Crime No
48/2002 बरामद HHC [illegible]
[illegible] के CTL [illegible]
[illegible]
[illegible]

x x x x x x

[illegible]

Judicial Magistrate [illegible]
Court [illegible]

PW-2. [illegible] उम्र 35 वर्ष

[illegible]
2/11/03

[illegible]

[illegible]

17

-2-

[illegible]

At this stage ... APP ... [illegible]

[illegible]

opportunity given

MIC

Judicial Magistrate 1st Class
Court No. 3 SHIMLA (H.P.)

R-O&AC

[illegible]

Certified that ... [illegible] ... been recorded under my dictation in the open Court.

JMIC (3) Shimla

(A-4)

Pw.-4 बयान HC कश्मीरी लाल 682
PS. [illegible]

ब्यान
25/11/03

(18)

ब्यान किया कि दिनांक 5/4/2002 को मैं MHC [illegible] से आबकारी अधि० नं० 48/2002 3 अद्धे Diplomat whisky 3 अद्धे Peach [illegible] 3 बोतल [illegible] 3 बोतल [illegible] whisky 3 बोतल Contessa Rum पर [illegible] Himachal [illegible] पर [illegible] 3 [illegible] Himachal [illegible] पर [illegible] Diplomat whisky पर [illegible] whisky पर [illegible] Monalisa [illegible] को [illegible] CTL [illegible] CTL [illegible] MHC को दे दी। [illegible] सील [illegible] नहीं की।

x x x x x

अभियुक्त को seal न दिखाई गई है।

Judicial Magistrate Ist Class
Court No. 5/[illegible]

RO AC HC
Kashmiri Lal
682

(19) A-5

PW-3 बयान ए.एस.आई. इन्द्र सिंह पुलिस
सर्किल केन्द्र शिकोहाबाद

सशपथ
23/11/03

बयान किया कि वर्ष 2000 से 2003
तक पुलिस चौकी [illegible] के अलावा
Judge लगाता था। दिनांक 1/4/2002
को मैं HC साथ गोपाल ए.सी.1096
C तहसील बेंजी नं. 299 के साथ बाद
11 बजे दिन बयान किया जाता [illegible]
बाजार [illegible] था तो [illegible]
C.O. का देखा रेती व अंग्रेजी
रखना था [illegible] दिनांक 21/3/2003
तक था Saleman राजीव गुप्ता व
रूपी सिंह देखा कि शराब देशी व
अंग्रेजी लेबल के हैं उसी समय पुलिस
शाह को दो बोतलें शराब अंग्रेजी
एक Dwiby [illegible] व एक ayoblast
whisky की थी। Saleman से परमिट व
Licence तथा stock Register मांगा, पुलिस
बल को बता चलता कुछ भी पेश
न कर सके। [illegible] पर पाया शराब
भौतिक व पौवा शाह तथा तीनों
Saleman के मौजूदगी में देखा गया
भी शराब तीन बोतल Monalisa
11 अद्धे व 8 pouch Bocca light व
11 अद्धे - Dwiby whisky 20 pouch चौकी
whisky 12 pouch Co-Tessa 18 मामला
Harfed रखा तथा तीन पेटियां
Harfed तथा 14 बोतल Harfed नं. 1
व दो बोतल रंगा orange की
बरामदगी फर्द Ex. Ka-11/A तैयार
बनाया है जिसमें मौजूद है
जो 1st Pw-5/A लेकर बयान
अ० तहसील के साथ बाद बाकी

[illegible]

CT.L कण्डाघाट के रिपोर्ट Ext. PA to PH, PJ to PL मौसूल होने पर ऊ० रत्ना की जगह SI परवेश इकबाल ने कोई की। मिसलात ऊ० का चालान तैयार करके पेश अदालत किया। चालान पर उनके हस्ताक्षर शिनाख्त करता हूँ।

x x x x x x

मैंने गुलाटी and Co के मालिक से कोई पूछ ताछ न की। मैंने कब्जा से शराब जो ली थी वो दस बोतल व पांच पेटीयों से seal की थी। आगे पौलिस पेश न की गई। यह जानता है कि ठेका पुलिस ने रतलाना था। यह जानता है कि ठेका रतलाना के बाद इस रोशी गया। के शराब खाली यह भी जानता है कि जब रोजी गया तो शराब ठेके से अलग किया तो यह न कहना आगाया। मैंने करोल & Co के मालिक से कोई बात न लिखी। यह जानता है कि करोल & Co के Salesman ने मैंने। यह ठीक है कि 2002-2003 का लाईसेंस H.S गुलाटी को मिला था यह जानता है कि उस ठेके पे H.S. गुलाटी & Co की शराब थी। मैंने H.S गुलाटी के मालिक से माल व शराब के बारे में कोई पूछ ताछ न की। यह भी ठीक है कि मैंने उसको करोल & Co के मालिक से पूछ ताछ की। यह जानता है कि गुलाटी के लोग उनके बहुत ज्यादा न लिखे। यह जानता है कि तफतीश मेरे से ठीक नहीं हुई।

Judicial Magistrate 1st Class Court No.5 SHIMLA (H.P)

22

मैं भी जानता हूँ कि दोषीगण
के खिलाफ झूठा मुकदमा चलाया
है

RO&AC

[illegible]

J. M. [illegible]
[illegible]

23

बयान श्री [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

बयान किया कि मैं गवाह [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] को
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] हूँ व
[illegible] [illegible] [illegible] हूँ

[illegible]
Court [illegible]

[illegible]

(24)

(B-2)

ब अदालत जनाब कार्यपालिक मैजिस्ट्रेट (S.D.M) साहब सदर जिला बिलासपुर हि० प्र०

ब इस्तगासा सरकार बजरिया श्री हरिमन पुत्र श्री नथूराम जात हरिजन सि० दली थाना बरमाणा जिला बिलासपुर हि० प्र०

बनाम

कांकू राम पुत्र नथूराम जात हरिजन सि० दली थाना बरमाणा जिला बिलासपुर हि० प्र०

इस्तगासा जेर धारा U/S 133, 107, 150 [illegible]

श्री मान जी,

संक्षिप्त हालात इस्तगासा इस प्रकार से है कि हरिमन ने D.C साहब बिलासपुर को दरख्वास्त गुजारी थी कि वह के साथ [illegible] मौजा दली परगना व तहसील सदर जिला बिलासपुर हि० प्र० का रहने वाला है वह के साथ व करीब साली का मुश्तरका तौर पर रिहायशी मकान [illegible] मौजा दली परगना व तहसील सदर में तामीरशुदा है जिसमें मालिक साली ने आटा पीसने की चक्की उसमें लगा रखी है मुजा हरिमन की पत्नी मुसम्मात देई अरसा 10 साल से बिमार है उसे डाक्टर साहिब ने पलंग पर ही आराम करने को कहा है उसके चक्की के चलने से तो बीमार को [illegible] होती है व उसकी चक्की करीब 11 बजे चलाती है जिससे [illegible] बच्चों की पढ़ाई में बाधा पड़ जाती है मुजा हरिमन ने कई मर्तबा मालिकान को चक्की उठाने के वास्ते [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] मालिकान का मुश्तरका तौर पर तामीरशुदा मकान [illegible] व [illegible] है जब आटा चक्की चलती है तो [illegible] [illegible] [illegible] है [illegible] मकान [illegible] [illegible] [illegible]

25

है लिहाजा अर्ज है कि सायल व मर्सीक
यानी के मुतनाजा का तौर पर तामीर शुदा मकान
से आटा चक्की को उठाये जाने के वास्ते मुनासिब
कानूनी कार्यवाई अमल में लाई जाकर इन्साफ़ी सायल
की कार्यवाई जावे जिसकी दरयाफ्त मन स.उ.नि. मय
करके मौका अमल में लाई तो पाया गया कि सायल के
दो भाई है जिनमें एक गुजर चुका है व मर्सीकयानी
जीवित है इनका मुतनाजा मकान मौजा देली में है
सायल ने अपने भतीजे से मकान का हिस्सा खरीद
लीया है सर्वेट पोशी की बाजिब्ता कच्चा मकान है जिसमें
3 कमरे व एक बरामदा निचली मंजिल में है सायल
के पास दो कमरे व मर्सीकयानी को एक कमरा हिस्से में
आया है तथा बरामदा में एक ही दरवाजा है मर्सीक
यानी गांव सलेठा में अपने परिवार के साथ रहता पाया गया है
मर्सीकयानी ने मुतनाजा मकान में अपने कमरा में आटा
पीसने की चक्की लगा रखी है जिसके चलने पर सायल
की पत्नी जो बिमार होना बतलाई है बेचैन रहती है
तथा बच्चों की पढ़ाई पर भी असर पड़ना पाया गया
बतलाया है तथा चक्की के चलने से मकान की दिवारों
में दरारें पड़ना पाई गई तथा मकान के गिरने का
खतरा पाया गया तथा सायल द्वारा मर्सीकयानी को रोकने
पर जान से खतम करने की धमकियाँ देना पाई गई
तथा खतरनाक व खूंखार किस्म का आदमी पाया गया
तथा कानून की परवाह न करने वाला पाया गया मर्सीकयानी
द्वारा आटा चक्की लगाने से मकान के गिरने का खतरा व
अन्देशा नुकसे अमन पाया जा रहा है जो अन्दर जेरधारा
133/107/150 CrPC मुरत्तब किया गया

अतः इस्तगासा हाजा बर खिलाफ बर
खिलाफ मर्सीकयानी जेर धारा 107,150,133 CrPC मुरत्तब किया
जाकर व इतवार शहादत मुन्दर्जा जेल पेश है समायत
पेशी अदालत है कि वह समायत जेर धारा 116(3) CrPC
रोक चलानी व कार्यवाई ... में पाबन्द करवाया जावे मुचलका
को जमानत मय तलब करके कर पाबन्द कराई जावे [illegible]

[signature] 9/10

(26)

तफसील गवाहन

(1) हरिमन व० नवीन जात हरिजन सा० दरी थाना बरमाणा जिला बिलासपुर हि० प्र०

(2) श्री टिंडू राम व० श्री गसवाई जात हरिजन सा० धल्ली बिल्ला थाना बरमाणा जिला बिलासपुर हि० प्र०

(3) श्री चेत राम व० श्री पोली राम जात हरिजन सा० हरनोडा थाना बरमाणा जिला बिलासपुर हि० प्र०

(4) HC ठाकुर दास अन्वेषण अधिकारी थाना बरमाणा जिला बिलासपुर

तफसील कागजात

(1) इस्तगासा फार्म — 2 वर्क (2) असल रपट — 1 वर्क

(3) ब्यानात गवाहन — 3 वर्क (4) नक्शा मौका — 1 वर्क

Thakur Dass
HC I/O PS Barmana
16/12/99

Sir,
Submitted please.

थाना अधिकारी
बरमाणा जिला बिलासपुर (हि.प्र.)

(27)

B-3

ब्यान अजाने श्री हितू राम s/o श्री गसंगाई
जात हरिजन गांव बल्ली पिल्ला थाना बरमाणा जिला
बिलासपुर (हि०प्र०) व उम्र 52 साल

ब्यान किया कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूँ पेशा खेती बाड़ी करता हूँ हरिजन व कानू राम s/o नैणू R/o बल्ली मेरे मामा के लगते है एक मामा मेरा गुजर चुका है गांव बल्ली में इनका रिहाईशी मकान स्लैट पोश दो मंजिला है जिसके निचली मंजिल में 3 कमरे व एक बन्द बरामदा है मकान के अन्दर जाने के लिये एक ही दरवाजा लगा है करीब 2 व 2½ महीने पहले मैं अपनी मामी उर्फा देवी को हाल चाल पूछने अपने मामा के घर गया था जब मैं अपनी मामी के पास कमरे में बैठा था तो कानू राम मामा ने आटा पीसने की चक्की अपने कमरे में लगा रखी थी जिसका काफी शोर हो रहा था मेरी मामी बिमार थी जो चक्की के चलने से काफी बेचैन हो रही थी मेरे मामा हरिजन ने मुझे बताया कि आप चक्की लगने से मकान की दिवारों में दरारें पड़ने शुरू हो गई है तथा बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी बाधा पड़ रही है मैंने अपने मामा कानू राम को कहा कि आप ने आटा चक्की इस कमरे में लगाकर हरिजन मामा के परिवार को काफी परेशान कर रखा है तो मेरे मामा कानू राम ने कहा कि अगर हरिजन मेरी चक्की को बन्द करवाने के लिये कहेगा तो जान से खत्म कर दूंगा मैंने अपने मामा हरिजन को कहा कि अगर आपने इसको कहा तो आपको तथा आपके परिवार को जानी व माली नुकसान कर देगा मेरा मामा कानूराम काफी झगड़ालू और व खतरनाक किस्म का आदमी है जो कानून की परवाह नहीं करता है बाकी कुछ लिखा जो सही है

RO&AC

Thakur Dass
HC 8/0 PS Barmana
16/12/99

L.T.I.
हितू राम

(29)

B-4

ब्यान मजाने श्री चेतराम पु० श्री रोती राम
आबादियान गांव हरनोड़ा थाना बरमाणा जिला बिलास-
पुर (हि०प्र०) व उम्र 70 साल

ब्यान किया कि मैं उपरोक्त पता का रहने वाला हूँ पेशा खेती बाड़ी करता हूँ हरिमन व कांकू राम पु० गरैबू नि० हाल मेरे रिश्ते में कुटम्ब लगते हैं मैं करीब करीब 30 साल से इनको जानता हूँ हरिमन के एक ओर भाई था जो गुजर चुका है गांव हाल में हरिमन ने अपने छोटे भाई के मकान का हिस्सा मोल लिया है इन तीनों भाईयों का मुश्तरका मकान है यह मकान तीन कमरे व ग्राम्बा दो मंजिला स्लेट पोश कच्चा मकान है इस मकान में अन्दर जाने के लिये बाहर से एक ही दरवाजा है हरिमन के पास दो कमरे नीचली मंजिल व दो कमरे ऊपर की मंजिल के लिये हैं तथा कान्हू राम ने तीन जगह मकान बना रखे हैं कान्हू राम गांव अलग में अपने परिवार के साथ रहता है मुझे हरिमन ने करीब 2 माह पहले बताया था कि कान्हू राम ने अपने कमरे में आटा पीसने की चक्की लगा ली है उसकी वजह से हरिमन के परिवार को काफी परेशानी हो रही है मैं कान्हू राम को समझाने व देखने के लिये गांव चली गया था उस दिन कान्हू राम ने आटा चक्की लगा रखी थी मैं दुर्गा देई का हाल चाल पूछने के लिये भी गया था वह काफी अरसे से बीमार है मैं इसके कमरे के अन्दर बैठा था तो मुझे दुर्गा देई ने बताया कि कान्हू राम पूरा दिन आटा पीसता रहता है जिस वजह से यह बेचैन व परेशान रहती है तथा मुझे हरिमन ने बताया कि इस आटा चक्की लगाने से मकान की दीवार में दरारें पड़ गई हैं मैंने कमरे में जाकर दीवार दरारें देखी हैं कान्हू राम ने अपने हिस्से वाले ग्राम्बा की दीवार में काफी बड़ा छेद करके अपने कमरे के लिये रास्ता बना लिया है जिसमें कोई दरवाजा वगैरह फि-

(29)

मौजा ने गाया है। हरिजन के पोते पोतियां
छोटी स्कूल जाते है उनकी पढ़ाई में भी आरा
चक्की लगने के कारण पढ़ाई मे बाधा पड़ रही
है तथा इसके मकान की चल सम्पति भी असुरक्षित
हो गई है कोई भी चोरी आदि दिन व रात के समय
इनके मकान को हो सकती है क्योंकि कई बार
इनके परिवार के सभी लोग काम आदि पर चले
जाते है आरा चक्की लगने से गांव के बाहरी लोगों
का आना जाना हो गया है कानू राम को जब मैंने
पूछा तो कानू राम ने कहा कि यह आरा चक्की
का कायम करने से नहीं छोड़ेगा तथा मैंने सामने
कानू राम ने कहा कि वह हरिजन को जान से
खतम कर देगा आगे अगर आई मैं इस चक्की
बन्द को कहा कानू राम काफी तेज और व
खतरनाक किस्म का आदमी है जो कानून को
इस्तेमाल न करता है तथा पीड़ित हरिजन व उसके
परिवार को जान व माल खतरा है आवेदन
लिख दी सही है

R.T.I
चैत राम

30

B – I

ब्यान अजाने श्री हरिमन S/o श्री नरैणू जात हरिजन R/o
दली P.S बरमाणा जिला बिलासपुर (HP) उम्र 80 साल।

ब्यान किया कि मैं उपरोक्त पते का रहने वाला हूँ व पेशा खेतीबाड़ी करता हूँ। हम तीन भाई हैं। मेरा मंझला भाई रामदास गुजर चुका है। तथा कांछू राम अभी जीवित हैं। हमारा तीनो भाईयो का मुश्तिरका मकान गांव दली में है। इस मकान के तीन कमरे हैं व एक बरामदा नीचे व तीन कमरे व बरामदा दूसरी मंजिल का स्लेट पोश कच्चा मकान है। मेरा भाई कांछू राम गांव कलैड़ा में अपने परिवार सहित रहता है। कांछू राम ने अपने हिस्से वाले कमरे मे आटा पीसने की चक्की अरसा करीब 3 माह पहले लगा रखी है। आटा चक्की लगने से मेरे हिस्से वाले कमरे की दीवारों को दरारें आ गई हैं। मेरी पत्नी अरसा करीब 10 साल से बीमार चली आ रही है जो अधिकतर पलंग पर रहती है। आटा चक्की लगने से मेरी पत्नी बीमार होने की वजह से बेचैन हो जाती है तथा मेरा पोता व पोती स्कूल पढ़ते हैं। बच्चों की पढ़ाई में भी आटा चक्की की वजह से बाधा पहुँचती है। मैंने अपने रिश्तेदार चिन्तू राम व चेत राम को भी सारी बात बतलाई जो इनके सामने मेरे भाई कांछू राम ने मुझे व मेरे परिवार को धमकी दी कि अगर आटा चक्की बन्द करने को कहा तो जान से खतम कर दूंगा तथा उसके बाद भी उसने कई बार मुझे व मेरे परिवार को जान से मार देने की धमकियां दी। कांछू राम जीनाजोर व खूंखार किस्म का इन्सान है जो कानून की कतई परवाह न करता है मुझे व मेरे परिवार को कांछू राम से हर समय खतरा जान व माल बना हुआ है। ब्यान सुन लिया जो ठीक है।

RO & AC
Thakur Dass
HC I/O PS Barmana
16/10/99

LTI
हरिमन.

ब्यान श्री हरीराम पु० नत्थू निवासी गांव
दनी, तहसील सदर, जिला हिसार बिसं

[illegible] सहित
27-3-2010.

ब्यान किया कि श्री कौशल्या के कहने पर
मैं आया चलकर गांव रखी हैं हमारा घर
मुलाकात हो। चलकर अदालत में अपने
द्वारा हो क्योंकि चलकर घर दिन
चलता हूँ। इस घर चलकर इरादे के
लिए कहा था। लेकिन इसने इन्कार किया।
इसके मैं साथ शादी का वादा किया था
इसके लिए लेकर उसे गांव दिया। इसके
अलावा और कोई वादा नहीं हुआ।
जब आया वाले गांव में पांच की इन्होंने
अपने चलकर उसको जो कहा लेकिन इसने
इन्कार कर दिया।

x x x x x x

जिरह :- By Sh. B.S. Verma, Advocate

यह बात ठीक है कि हमारा घर इनका
की तरफ हम दोनों अलग-2 रहते हैं।
यह बात ठीक है कि इनके बाद नहीं
जानता हूँ यह बात ठीक है कि हमारा
आपस में कोई रिश्ता नहीं है।
इनके बाद इसके अपने बाद चलकर इसके
हो कि तरफ के हो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं
हुआ है कौशल्या (petitioner) पेश करता
है, इसकी कोई नौकरी नहीं है।

मैंने आपके के समय मौका पर कोई [illegible] नहीं था / मैंने आपके के भी किसी को नहीं बुलाया था / उसी रात के बाद 3/4 बजे / [illegible] है कि [illegible] को [illegible] नहीं आया / यह गलत है कि मैंने [illegible] [illegible] बनाया है

R.O + A.C

[signature]

Sub Divisional Magistrate
Sadur, [illegible] H.P.

PW 2 बयान श्री [illegible] पु० [illegible] निवासी गांव [illegible] [illegible] तहसील सदर जिला बिलासपुर हि० प्र० /

[illegible]
27-3-2000.

बयान किया कि मेरे सामने [illegible] का कोई झगड़ा नहीं हुआ है / [illegible] [illegible] मकान के नजदीक है /

x x x x x x

यह ठीक है कि [illegible] [illegible] लगते हैं /

R.O + A.C

[signature]

Sub Divisional Magistrate

PW No. 3

[illegible]

[illegible]

27-3-2007

[illegible]

x x x x x x

[illegible]

01 [illegible]

Sub Divisional Magistrate
Sadar, Distt. Bilaspur H.P.

PW 4

[illegible] H.C. No. 4
B.S. [illegible] 1951

[illegible]

[illegible] 1999 [illegible] I.O. [illegible]

[illegible] D.C. [illegible]

जिनकी दरयाफ्त मैंने मौका पर
अमल में लाई थी / वादी इलाहिबादी
का मकान कुशादा दो मंजिला कच्चा
जिसके मकान के अन्दर जाने के लिए
एक ही दरवाजा बना पाया / मकान की
निचली मंजिल में एक बरामदा
व तीन कमरे बने पाये / दो कमरे
बने व एक कमरा डलीवाड़ी का होना
पाया गया / डलीवाड़ी के सामने कमरा
में एक आटा चक्की / मशीन लगी
रखी है तथा डलीवाड़ी की रिहायश
गाँव कालोनी में बताई गई
बमुताबिक जवाबात के पाया गया कि
दरयाफ्त के करीब तीन महीने
पहले डलीवाड़ी के सामने कमरे में
आटा चक्की लगाई थी / जिसे
वादी डालीवाड़ी को आटा चक्की
के चलाने के बारे - की बताई
तथा मुझे जो अपना लगाया
10 साल से बिना होना बताई
गई इसकी वजह से वे तंग
रहना शुरू बतलाई गई /
इलाके व लोगों के तमाम
इलाका व इलाके परिवार को
जान से मारने की धमकियां दे
गाली गलोच करना बताया गया/
इसकी वजह से वहाँ पर
काफी लोगों का आना

ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ [illegible] [illegible] ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਇਕ ਕਮਰਾ ਦੇਣ ਦਾ [illegible] ਤਥਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ [illegible] ਦਾ ਫੈਸਲਾ [illegible] ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ [illegible] ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ [illegible] ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤਥਾ ਇਸ ਮਕਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਜਾ ਨ ਦੇਣ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ [illegible] ਗਿਆ।

ਹਾਜ਼ਰ :- ਸ੍ਰੀ [illegible] ——— [illegible]

R.O. & A.C.

Thakur Dass

Sub Divisional Magistrate
Sadar [illegible]
8/5/2010

ਬਿਆਨ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਨੰਦੂ ਰਾਮ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ [illegible] ਸਮੇਤ ਵਕੀਲ ਕਿਹਾ।

ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ~~[illegible]~~ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਕਹੇ ਮੁਕਦਮਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ~~[illegible]~~ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

R.O. & A.C.

Sub Divisional Magistrate
Sadar
8/5/2010